न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
परिवाद संख्या : 15/2018
निर्णय दिनांक : 02.07.2019

1. श्रीमती गीता देवी मीणा पत्नी स्व0 राधेश्याम मीणा, उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम कुम्हौरों का बास, राधावल्लभ मार्ग, सागानेर जयपुर राज0।

प्रार्थीया आवेदन

बनाम

1. रवि प्रकाश मीणा पुत्र स्व श्री राधेश्याम मीणा उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्होरों का बास, राधावल्लभ मार्ग, सागानेर जयपुर राज0।
2. श्रीमती आशा मीणा पत्नी रवि प्रकाश मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्होरों का बास, राधावल्लभ मार्ग, सागानेर जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) (ए एवं बी) सपठित धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

परिवाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के दो लडके, बडा पुत्र बुद्धि प्रकाश मीणा है तथा छोटा पुत्र रवि प्रकाश मीणा प्रार्थीया के दोनों पुत्र शादी–शुदा है, बुद्धि प्रकाश मीणा अपनी पत्नि सहित अप्रार्थी संख्या 2 के व्यवहार से परेशान होकर बाहर रहता है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के स्वामित्व के उपरोक्त मकान में शांतिपूर्वक तरीके से जीवनयापन नहीं करने देते है तथा प्रार्थीया को खर्चा भी नहीं देते है। जब प्रार्थीया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेंतु खर्चे की मांग करती है तो अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया को गंदी–गंदी गालियां देती है तथा विरोध करने पर मारपीट करती रहती है एवं पुलिस थाने में प्रार्थीया के खिलाफ झूंठी रिपोर्ट करती रहती है। जिसके कारण प्रार्थीया का अपने घर में रहना मुश्किल हो गया है। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 जान से मरने मारने की धमकी देती है एवं जब प्रार्थीया का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बीच में बोलने की कोशिश की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भी जान से मारने की धमकी देती है एवं पूरे परिवार को झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी ना किसी बात को लेकर प्रार्थीया को प्रताड़ित किया जाता है तथा प्रार्थीया के उपर कभी चाकू लेकर तो कभी कैंची लेकर प्रार्थीया को जान से माने का प्रयत्न किया जाता है जिसके कारण प्रार्थीया हमेशा भयभीत रहती है तथा हमेशा जान को खतरा बना रहता है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त मकान में रहना दूभर कर दिया है। तथा प्रार्थीया को धमकी देती है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया एवं उसके परिवार को बर्बाद करके छोड़ेगी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया के खिलाफ महिला आयोग एवं पुलिस थाने में भी झूंठी रिपोर्ट करने सांगानेर थाने में गई थी। लेकिन सांगानेर पुलिस थाने वालों ने भी जब मामले की तहकीकात की तो उक्त प्रकरण झूंठा पाया गया तो अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीया को परेशान नहीं करने व मारपीट नहीं करने बाबत समझाया गया। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 पर पुलिस वालों की समझाईस का कोई असर नहीं हुआ। एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीया के साथ लगातार मारपीट व प्रताड़ित करना ज़ारी है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यों के कारण प्रार्थीया अब अप्रार्थीगण को अपने मकान में नही रखना चाहते हैं एवं उन्हें बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीया को वे माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण को बेदखल करवाये इसलिये यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है।

परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी एक व दो के नोटिस बाद तामिल प्राप्त शामिल मिसल है। दिनांक 12.06.2018 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से परिवाद का जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल प्रार्थीया को दिलाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 से 6 तथा पैरा संख्या 7(i) से 7(iii) में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7(iv) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से तहरीर किया गया है उसमें वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है। मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया का हमेशा सम्मान किया है तथा हरसंभव मदद की है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थी संख्या 2 न तो प्रार्थीया की सेवा करने देती है और ना ही खर्चा देने देती है मिन अप्रार्थी जब खर्चा देते वक्त देख लेने पर अप्रार्थी संख्या 2 मिन अप्रार्थी का जीना हराम कर देती है तथा प्रार्थीया के साथ दुर्व्यवहार करती है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 7(vi) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, उसमें वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7(xi) में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से तहरीर किया गया है उमें वर्णित तथ्य अप्रार्थी संख्या 2 से सम्बंधित है। मिन अप्रार्थी ने अपनी माता अर्थात प्रार्थीया हर संभव सेवा सुश्रुषा की है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 के घुस्सेल स्वभाव के कारण वह मिन अप्रार्थी को अपनी माता की सेवा करते देख लेने पर मिन अप्रार्थी को भी हैरान व परेशान करने लग जाती है जिसके कारण घर में अशांति का माहौल पैदा हो जाता है तथा चाहकर भी अपनी गृहस्थी बचाये रखने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कारित हर पीड़ा को सहन करता रहता है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 7(xii) में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 2 उत्तरदाता का भी कहना नहीं मानती है तथा उत्तरदाता के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर आमादा रहती है तथा कभी चाकू तथा कभी कैंची उठाकर माने को तैयार रहती है, घरेलू कोई भी सामान हाथ में आ जाये उसी से उत्तरदाता पर हमला कर देती है। जिससे परेशान होकर उत्तरदाता अपना स्वयं का मकान छोड़कर अप्रार्थी संख्या 2 से अलग किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 8 व 9 में वर्णित तथ्य मिन अप्रार्थी की हद तक अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी के पास आय का कोई स्थायी स्त्रोत नहीं है। जिससे कि 5000/– रूपये प्रतिमाह अलग से प्रार्थीया को अदा कर सकें। मिन अप्रार्थी अपने स्वयं के साथ प्रार्थीया को रखकर जैसा स्वयं जीवनयापन कर रहे है ऐसी जीवन यापन प्रार्थीया का करने को तैयार एवं तत्पर है। अतः जवाब प्राथना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की हद तक प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में प्रार्थीया के नाम की बाबत कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आशा मीणा ने कहा कि मद संख्या 2 से 5 विवादित नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में अप्रार्थी संख्या 2 का गृहणी होना एवं अप्रार्थी संख्या 1 का होमगार्ड में नौकरी करने का तथ्य स्वीकार है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का वेतन 8000/– रूपये ना होकर करीबन 25000/– हैं। प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास होने का तथ्य मात्र स्वीकार किया है, मद संख्या 7(1) के शेष तथ्य जिस प्रकारण वर्णित किये गये है गलत होने से अस्वीकार है। मद संख्या 7(2) आंशिक स्वीकार है तथा मद संख्या 7(3) से 7(12) जिस प्रकार से वर्णित किया गया हैं गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने मद संख्या 8 में अनुतोष गलत दर्ज किया है, उक्त मद में वर्णित अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है। मिन उत्तरदाता अप्रार्थीया द्वारा कोई हिंसा, गाली गलौच व मारपीट नहीं की जा रही हैं ना ही प्रार्थीया को मकान से निकाला जा रहा है जबकि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस में मिलकर मिन उत्तरदाता अप्रार्थीया व उसकी 6–7 माह की पुत्री को येन कैन प्रकारेण घर से बाहर निकालने पर आमादा है और इसी उद्धेश्य की पूर्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष अन्तर्गल आरोप मिन उत्तरदाता अप्रार्थीया पर प्रत्यारोपित करते हुए संस्थित किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जवाब परिवाद शामिल मिसल है। प्रार्थीया की ओर से स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र एवं श्रीमती कमला मीणा पत्नी स्व श्री जगदीश मीणा उम्र 67 वर्ष निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, राधावल्लभ मार्ग, सांगानेर जयपुर एवं रामनारायण पुत्र श्री चोथमल मीणा निवासी बीलवा सांगानेर की ओर से साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये। जिनकी प्रति अप्रार्थीया को दिलाई गयी। शपथ पत्र शामिल मिसल है। प्रार्थीया द्वारा दस्तावेज सूची के साथ बिजली बिल, आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड की छायाप्रति पेश की।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार हमने प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से पाया जाता है प्रार्थीया वृद्धावस्था में होने के कारण अपने दैनिक खर्चों एवं जीवनयापन करने हेतु एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कोई स्त्रोत प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीया के पास होना नहीं प्रतीत होता है। प्रार्थीया को भरण–पोषण एवं जीवनयापन हेतु अप्रार्थीगण से राशि दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः परिवादी/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) (ए एवं बी) सपठित धारा 23 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या–1 श्री रवि प्रकाश मीणा प्रतिमाह 2000/– रूपये, वादिया/प्रार्थीया को बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जरिये चैक बैंक में जमा करायेंगे तथा साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि हारी–बीमारी में प्रार्थीया का सम्पूर्ण सुश्रुषा संयुक्त रूप से करेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को किसी प्रकार से हैरान व परेशान नहीं करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner